आवक क्रमांक .............
दिनांक .....................

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
--

क्रमांक 1117/आर-1102/सात-2/2016 नया रायपुर, दिनांक 04 JUN 2016 मई, 2016
प्रति,

समस्त,
कलेक्टर (छ.ग.)

विषयः- तहसीलदार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के क्रियान्वयन को सुदृढ़ीकरण बाबत
--

उपरोक्त विषयान्तर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1634/2116/आ.सा.सं./जीवनांक, दिनांक 24.05.2016 की छायाप्रति संलग्न है ।

2/ आदेशानुसार निवेदन है कि कृपया आपके अधीनस्थ तहसीलदारों को तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । उक्त निर्देश दिनांक 24.05.2016, राजस्व विभाग के बेबसाईड www.cg.nic.in/revenue पर उपलब्ध है ।

संलग्नः- यथोपरि

4-6-016
(एफ.केरकेट्टा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक 1118/आर-1102/सात-2/2016 नया रायपुर, दिनांक 04 JUN 2016 मई, 2016
प्रति,

आयुक्त सह संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय इन्द्रावती भवन भू-तल नया रायपुर छ.ग. की ओर उनके पत्र दिनांक 24.05.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

4-6-016
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

AD (vital)
7/6/6

D;//letter & notesheet 2015.doc

# आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

(इन्द्रावती भवन, भू–तल, नया रायपुर)

☎ 0771- 2410058 फैक्सः 0771-2422627, email ID- des.vitalcg@nic.in


क्रं. 1634/2016/आ.सा.सं./जीवनांक नया रायपुर, दिनांक 24/5/2016

प्रति,

**सचिव,**
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :– तहसीलदार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के कियान्वयन को सुदृढ़ीकरण बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, की अध्यक्षता में आयोजित **अन्तर्विभागीय समन्वय समिति** की बैठक दिनांक 17.02.2016 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विदित हो कि देश के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार जन्म और मृत्यु की घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की जांच किए जाने के उपरांत दिए गए आदेश और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य में इस कार्य हेतु तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है एवं छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क. 808 दिनांक 5.11. 2014 द्वारा आगामी 5 वर्ष के लिए विलंब शुल्क को संशोधित करते हुए 1 रूपया किया गया है, जिसे भी शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

3/ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कियान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार अधिसूचित किया गया है। इनके स्पष्टीकरण अनुसार :–

अ) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अधीन कार्य (विलंबित पंजीकरण हेतु अनुज्ञा/आदेश) कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी स्वरूप माने जाते है। अधिक से अधिक इस कार्य को अर्द्ध न्यायीक (Quasi Judicial) कार्य कहा जा सकता हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की सत्यता की जांच कर तहसीलदार वांछित अनुज्ञा/आदेश देवें। घटना की जांच हेतु आवश्यकतानुसार इनके पास उपलब्ध तंत्र (आर.आई.,पटवारी, कोटवार) का उपयोग कर सकते हैं।

ब) घटना की यथार्थता की जांच के कार्य में प्रमाण को सही या गलत पाया जा सकता है अथवा निर्णय तैयार करना अन्तरग्रस्त हो सकता है, किंतु उस निर्णय से किसी प्रकार की सजा या दंड नहीं मिलेगा अथवा न ही व्यक्ति पर दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

अतः यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार की शास्ति तहसीलदार द्वारा संबंधित आवेदक को विलंब पंजीयन हेतु नहीं लगाया जाना है।

अतएव आपसे आग्रह है कि उपरोक्तानुसार कार्य किए जाने हेतु राज्य के समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अमिताभ पाण्डा)
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर

आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है । इसका समाधान धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकरण द्वारा मामले का शीघ्र निपटान करके या अधिनियम में उचित संशोधन करके किया जा सकता है ।

**48 प्रश्न :** 1 अप्रैल, 1974 से दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 लागू हो जाने से पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के नियम 10(3) के अधीन शक्ति को इस्तेमाल करने का प्राधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए । चूंकि अधिनियम की धारा 13(3) में केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया है अत: इस प्राधिकार का उपयोग केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता । यह भी बताया जाए कि क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना आवश्यक होगा अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा अपेक्षित उचित मजिस्ट्रेट निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के नियम 10(3) में केवल संशोधन करना होगा ?

**स्पष्टीकरण :** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (3) में यह उल्लेख किया गया है कि जन्म और मृत्यु की घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की जाँच किए जाने के उपरान्त दिए गए आदेश और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा ।

यथार्थता की जाँच के कार्य में प्रमाण को सही या गलत पाया जा सकता है अथवा निर्णय तैयार करना अन्तरग्रस्त हो सकता है, किन्तु उस निर्णय से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सज़ा या दण्ड नहीं मिलेगा अथवा न ही व्यक्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के तहत मुकद्दमा चलाया जाएगा । अधिक से अधिक इस कार्य की अर्थ न्यायिक कार्य कहा जा सकता है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी स्वरूप के माने जाते हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान है कि संहिता को छोड़कर अन्य किसी कानून के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले कार्य जो कि प्रशासनिक अथवा कार्यकारी स्वरूप के हों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं । अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है ।

**49 प्रश्न :** क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की घटनाओं को भी दर्ज किया जा सकता है ।

**स्पष्टीकरण :** जन्म और मृत्यु की घटनाएँ जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की है, उन्हें भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज किया जा सकता है । ऐसी घटनाओं में रजिस्ट्रीकरण के लिए देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने सम्बन्धी धारा 13 के उपबंध लागू होंगे ।

**50 प्रश्न :** क्या जिला सांख्यिकी अधिकारी (जिला रजिस्ट्रार) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2), 13(3) के उपबंधों और बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 के नियम 10(2) के अधीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्य कर सकता है ?

**स्पष्टीकरण :** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(3) तथा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1970 के नियम 10(2) और (3) में जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए अनुमति देने के लिए अलग-अलग प्राधिकारियों का प्रावधान है । प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश की तभी आवश्यकता होती है जब जन्म और मृत्यु की घटनाओं को एक वर्ष की अवधि के भीतर

I'll enclose this letter